

कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा (म0प्र0)

क्रमांक 320 / दो-11-16 / 25

विदिशा, दिनांक 28/6/25

माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर के द्वारा अधिसूचित **Madhya Pradesh District Court Establishment (Recruitment and Conditions of Service) Rules 2016 as published on M.P. Gazette Dt. 28-06-2019** के आलोक में इस स्थापना पर गठित पदोन्नति समिति के प्रतिवेदन की अनुशंसा के आधार पर निम्न कर्मचारी को वाहन चालक के पद पर 02 वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर पूर्णतः अस्थाई रूप से उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनोंक से पदोन्नत किया जाता है :-

क.	शासकीय सेवक का नाम	वर्तमान पद	पदोन्नत पद	पदोन्नत वेतनमान
1	श्री राणा प्रताप सिंह	जमादार	वाहन चालक	19500-62000

नोट- पदोन्नत कर्मचारी को निर्देशित किया जाता है कि यदि वह वेतन निर्धारण के संबंध में विकल्प प्रस्तुत करना चाहते हैं तो एक माह के अंदर प्रस्तुत करें, अन्यथा की दशा में विकल्प के अभाव में नियमानुसार वेतन निर्धारण किया जावेगा।

02- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापना संबंधी आदेश पृथक से किया जावेगा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
विदिशा म0प्र0

विदिशा, दिनांक 28/08/25

पृ0क्रमांक 2628 / दो-11-16 / 25

प्रतिलिपि-

- 01- विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) विदिशा,
- 02- श्री राणा प्रताप सिंह, जमादार, न्यायालय- विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) विदिशा की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ प्रेषित।
- 03- लेखापाल/वेतन लिपिक/आईएफएमआईएस लिपिक की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 04- जेएसए, विदिशा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को जिला न्यायालय के वेबसाईट पर अपलोड करें।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
विदिशा म0प्र0